

F-07-08 F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 172 का संशोधन सहित नवीकरण Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 172

विषय / Sub: एंटी कोलिशन लाईट, पार्ट सं. 3160 एस-73-31-901(आई एन डी)/

Anti Collision Light, Part No.: 3160 S-73-31-901(IND)

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स अरुण हौजरी मिल्स (इलेक्ट्रानिक्स प्रभाग), डी-16/2, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज़ - II, नई दिल्ली - 110 020 द्वारा विकसित और उत्पादित "एंटी कोलिशन लाइट" पार्ट सं. 3160 एस-73-31-901(आईएनडी) को पत्र सं.ऐरो/आरडी-125/107/1, दिनांक 10 मार्च 1976 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 172 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-172/11आर, दिनांक 12 जून 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी।

This is to state that the "Anti Collision Light", bearing Part No.: 3160 S-73-31-901(IND), designed and manufactured by M/s Arun Hosiery Mills (Electronic Division), D-16/2, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi - 110 020 was issued with Type Approval Number: 172 vide letter Number: Aero /RD-125/107/1, dated: 10th March 1976. Subsequently, it was renewed vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA - 172/11R, dated: 12th June 2013, with its validity up to 30th June 2018.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 नवंबर 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 अक्तूबर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर्स), द्वारा एचएएल, हेलिकॉप्टर प्रभाग, बेंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

पृष्ठ/Page 01 of 02

पृष्ठ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं./TA No. 172

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01^{st} November 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31^{st} October 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), C/o HAL, Helicopter Division, Bengaluru – 560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. ऐरो/आरडी-125/107/1, दिनांक 10 मार्च 1976 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पांच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: Aero/RD-125/107/1, dated: 10^{th} March 1976 is amended as stated herewith.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037 is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency!".

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र / प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter / certificate remains unaltered, and fully applicable.

सं ./ No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-172/12R

दिनांक / Date : <equation-block> November 2018 फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

0515 NOV 18 JR.

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)